न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अयोध्या

उपस्थितः रणंजय कुमार वर्मा ..... एच०जे०एस०

जमानत प्रार्थनापत्र संख्याः 644/2026

[रजिस्ट्रेशन नम्बरः 1357/2026]

[CNR No. UPFZ010038362026]

अजय कुमार पुत्र राम अंजोर मांझी, निवासी ग्राम रामपुर हलवारा, थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राज्य उत्तर प्रदेश ..... विपक्षी

.....

1. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 644/2026, मुकदमा अपराध संख्या 179/2026, अन्तर्गत धारा 319(2), 338, 336(3), 318(4), 340(2) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या के मुकदमे में प्रस्तुत है।

2. प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा के तहत जेल में निरूद्ध है। मजिस्ट्रेट द्वारा उसका जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त होकर सत्यापित प्रति संलग्न पत्रावली है।

3. प्रार्थी/अभियुक्त के अनुसार उसका यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में उसकी तरफ से कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र न तो प्रस्तुत है, न विचाराधीन है और न ही निस्तारित हुआ है।

4. प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से यह तर्क किया गया कि वह निर्दोष है। उसे हैरान व परेशान करने की नीयत से नामित किया गया है। उसके द्वारा विक्रयशुदा जमींन बैनामा दिनांकित 11.01.2023 के आधर पर विक्रय की गयी है, जो बिल्कुल सही है। प्रश्नगत मामला सिविल प्रकृति का है तथा मात्र अंश निर्धारण व कब्जे के विभाजन को लेकर मामला पंजीकृत कराया गया है। वह दिनांक 16.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय से स्वीकृत है। वह जमानत देने के लिये तैयार है। अतः उसे जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

Digitally signed by RANANJAY KUMAR VERMA
Date: 2026.07.09 16:11:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. विद्वान प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का विरोध किया गया।

6. सुना एवं सम्यक् अभिलेखों का परिशीलन किया।

7. अभियोजन कथानक के अनुसार वादी कृष्ण देव प्रजापति ने विजय सिंह द्वारा ग्राम रामपुर हलवारा मांझा में गाटा संख्या 64, 65, 760, 64/782/65/783 में क्षेत्रफल 0.56455 हेक्टेयर भूमि में से वादी ने 04 बिस्वा जमीन बैनामा दिनांक 14.07.2021 को कृष्ण देव प्रजापति व रामदेव प्रजापति ने रूपये 2,00,000 प्रति बिस्वा की दर से रु0 8,00,000 में क्रय किया था, जिसे प्रेमनाथ माझी व अजय रावत के मध्यस्थता से खरीदा गया है, और समस्त धनराशि बैंक खातों/चेक के माध्यम से उपरोक्त व्यक्तियों तथा उनके सहयोगी शनी श्रीवास्तव व विशाल, जो एकराय होकर प्रापर्टी डीलर के रुप में सहयोगी हैं, के माध्यम से धनराशि प्राप्त किया गया है। उपरोक्त बिक्रीत जमीन की दाखिल खारिज होने के समय पर विदित हुआ कि जमीन फर्जी एवं कूटरचित आधार पर अभिलेख तैयार कर बैनामा कराया गया है, जिसके सम्बन्ध में उक्त लोगों से अपनी धनराशि वापसी हेतु कहा गया तो धनराशि वापस न कर, इनके एक अन्य सहयोगी व्यक्ति अजय कुमार, जो इन्हीं लोगों के जमीन में क्रय विक्रय के कार्य में सहयोगी है, इनकी जमीन देने को कहा गया, जो जमीन तिहुरा मांझा में गाटा सख्या–1437/1, 1548, 1549 में बैनामा दिनांक 24.03.2023 द्वारा 0.152 हेक्टेयर/12 विस्वा भूमि में से 6 बिस्वा भूमि वादी के पक्ष में बैनामा कराया गया, यह भी जमीन दाखिल खारिज के समय पता चला कि यह जमीन किसी मृतक व्यक्ति के स्थान पर फर्जी व्यक्ति एवं अभिलेखों के आधार पर क्रय की गयी थी, जिसे वादी को उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा पुनः धोखाधड़ी कर बैनामा कराया गया है। उपरोक्त व्यक्तियों द्वारा जमीन के आधार पर लिये गये धनराशि की वापसी हेतु अनुरोध किया गया तो उपरोक्त लोग एकराय होकर गाली गलौज मारपीट को अमादा होते है। इसके अतिरिक्त अपने मित्रगण एवं सगे सम्बन्धी के दो बिस्वा जमीन का भुगतान सम्बन्धी से प्राप्त कर वादी द्वारा ही उपरोक्त व्यक्यिों को किया गया है, जिसका विवरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में उल्लिखित है।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना के दिनांक व समय का कोई उल्लेख नहीं है। कथित

अपराध में प्रार्थी/अभियुक्त की कोई विशिष्ट भूमिका होना दर्शित नहीं है। प्रकरण मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 16.06.2026 से जेल में निरूद्ध है। सह अभियुक्त की जमानत पूर्व में इस न्यायालय से स्वीकृत है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये जमानत का संतोषजनक आधार है। जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थनापत्र संख्या 644/2026, मुकदमा अपराध संख्या 179/2026, अन्तर्गत धारा 319(2), 338, 336(3), 318(4), 340(2) भा०न्या०सं०, थाना कोतवाली अयोध्या, जनपद अयोध्या में स्वीकार किया जाता है।

प्रार्थी/अभियुक्त को उसके द्वारा अपराध उपरोक्त में रूपये 50,000 (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्धपत्र एवं समान धनराशि के दो प्रतिभूगण सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाए।

(रणंजय कुमार वर्मा)
सत्र न्यायाधीश
अयोध्या
JO CODE: UP1908

दिनांकः 09.07.2026